(b) the details of Authority/Officer who has ordered changes in the said details; and

(c) whether it is a fact that the ordered changes conform to the provision of KVS Appointment, Seniority, Promotion Rules 1971?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) The Board of Governors of Kendriya Vidyalaya Sangathan is the competent authority to approve the Recruitment Rules for all categories of posts in the Sangathan. However, the Board in its 46th meeting held on 3-12-85 authorised the Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan to approve the Recruitment Rules subject to adoption by the Board of Governors.

(b) and (c) Chairman, Kendriya Vidyalaya Sangathan has ordered changes in qualifications in respect of the post of Trained Graduate Teachers only. The provision of Kendriya Vidyalaya Sangathan (Appointment, Promotion, Seniority etc.) Rules 1971 stands amended accordingly.

States considered as Border States

2863. SHRI PRAMOD MAHAJAN:

SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to answer to Starred Question 294 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1989 and state:

(a) the names of the States in the East, North and West which are considered as Border States;

(b) which of these States are not covered by the Border Area Development (Education) Programme whether education is considered a critical input for the develoment of border areas of these States;

(c) if so, whether a critical input for development is being denied to these States; and

(d) the reasons of the discrimination against the people of border areas of these States in the matter of development?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI P. SHIV SHANKER): (a) to (d) The Government has, for the present, confined the Border Area Development (Education) Programme only to the border states of Gujarat, Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan because of certain constraints.

दिल्ली में चल रहे पब्लिक स्कूल

2864. श्री शरद यादव: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का वाणिज्यीकरण किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या पब्लिक स्कूलों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी नियमों और विनियमों का पालन किया जा रहा है;

(ग) पब्लिक स्कूलों के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या कितनी है और इनमें से जिन-जिन शिकायतों का निपटान कर दिया गया है, उनका क्या निष्कर्ष निकला; और

(घ) क्या सरकार देश के सभी पब्लिक स्कूलों को अपने अधिकार में लेने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) से (ग) "पब्लिक स्कूल्स" नाम देश के विभिन्न भागों में स्थित निजी, गैर-सहायता प्राप्त

स्कूलों के कार्यकलाप सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

दिल्ली में, ये स्कूल दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा जब कभी भी शिकायतें प्राप्त की जाती हैं तो इस अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों को लागू करके स्कूल के प्रबन्धक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है। दिल्ली प्रशासन के पास इस समय लगभग 25 शिकायतें लम्बित पड़ी हैं जिनकी जांच की जा रही है और कार्रवाई के लिए निर्णय जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा

2865. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूल खोलने के वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान मानदंडों के अनुसार, आदिवासी और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोले जाने की अनुमति अब दे दी गई है;

(घ) चालू सत्र में मध्य प्रदेश में नए प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कितनी धनराशि रखी गई है;

(ङ) क्या यह सच है कि सार्वभौमिक साक्षरता के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने उक्त मानदंडों की समीक्षा किए बिना एक वैकल्पिक योजना तैयार कर ली है; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना में यह परिकल्पना है कि सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों (जनजातीय/पर्वतीय/रेगिस्तानी इलाकों के मामले में 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों) में पदल चलने की एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर एक प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाए। तदनुसार, सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से शिक्षा के लिए सार्वजनिक पहुंच की व्यवस्था करने के लिए नए स्कूल खोलने का अनुरोध किया गया है। इस मानदण्ड के अलावा नए प्राइमरी स्कूलों का खोलना मांग और स्रोतों की उपलब्धता से अधिशासित होता है। नए स्कूलों का खोलना हमेशा ही एक सतत प्रक्रिया होगी क्योंकि आवश्यकता जनसंख्या की वृद्धि, नई-नई बस्तियों की स्थापना आदि से परिवर्तित होती रहेगी। प्राईमरी स्कूलों के खोलने का प्रावधान राज्य योजनाओं में किया जाता है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों द्वारा 11 वर्ष की आयु तक पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा अथवा इसके समकक्ष की शिक्षा को पूरा करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। गैर-औपचारिक शिक्षा की योजना को शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों-असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर, पश्चिम बंगाल,